# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## —:: कार्यालय आदेश ::—

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता स्कूल शिक्षा को विदेश जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :—

| क्रसं | नाम प्राध्यापक मय पदस्थापन स्थान | विषय | जन्म तिथि | विदेश यात्रा हेतु प्रस्तावित देश का पता | विदेश में रहने की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती पुष्पा मेघानी राबाउमावि रामगंज, अजमेर | अंग्रेजी | 08.07.1963 | 1-1-23-1401, SEISHINCHO, EDOGAWA-KU,TOKYO, JAPAN 134-0087 | दिनांक 16.07.2022 से 14.09.2022 तक (कुल 60 दिवस) |
| 2 | श्रीमती रेशमा नकवी राबाउमावि गंगापोल, जयपुर | अंग्रेजी | 29.06.1967 | AMERIKA (NEW YORK) | दिनांक 22.04.2022 से 20.05.2022 तक (कुल 29 दिवस) |

1. कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
2. कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे। अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरूद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
4. विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
5. **सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंवे :—**
   (i) कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय / संस्था का राजकीय कार्य / शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
   (ii) कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों का हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
   (iii) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच / कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
   (iV) कार्मिक के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लम्बित / विचाराधीन नहीं है।
6. विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
7. विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय मोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
9. विदेश प्रवास के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन / व्यवसाय / नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
11. विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक—शिविरा / माध्य / संस्था / सी—1 / अंग्रेजी—संस्कृत / विदेश यात्रा—एनओसी / 2021—22 दिनांक— 11.04.22

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप—2) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी,
4. संबंधित प्रधानाचार्य,
5. सिस्टम ऐनेलिसिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
6. संबंधित कार्मिक / रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

## कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) **गणित** को विदेश यात्रा पर जाने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के आधार पर दी जाती है–

| क्र. सं. | नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन (राउमावि) | विदेश यात्रा अवधि मय विदेश जाने का कारण | विदेश का नाम जहां यात्रा करनी है |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कल्पना माहोर, व्याख्याता (गणित) महादेव पुरा, चाकसू (जयपुर) | दिनांक 20.05.2022 से 20.06.2022 तक कुल 32 दिन (बत्तीस दिवस) **छोटे भाई से मिलने व भ्रमण हेतु** | **Boston (U.S.A.)** |

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ–जहाँ पर रहेंगे उनके पते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. अ. सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/ विचाराधीन नहीं है।
    ब. कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
    स. कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।
    द. कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

**क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–3/भौगकृ/विदेशयात्रा–अनुज्ञा/2019/**134 — दिनांक: 11.04.22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–
1 संबधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
2. जिला निर्वाचन अधिकारी जयपुर।
3 सिस्टम ऐनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु।
4 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
5 प्रधानाचार्य, राउमावि महादेव पुरा, चाकसू जयपुर।
6 संबधित कार्मिक
7 निजी एवं रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त निदेशक (कार्मिक)**
**माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान**
**बीकानेर**